

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं - 29/2021 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 30 जुलाई, 2021

सां. आ.... (अ) - केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 1 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अगस्त, 2021 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 110 और 111 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. सीबीआईसी-20001/5/2021-जीएसटी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार